



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)



टैलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 2373
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 01-07-2024

वनसंरक्षक

उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- जिला रतलाम के अन्तर्गत कुआझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, रतलाम को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. /6-एम.पी.आर 002/2024-बीएचओ दिनांक 01-03-2024 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र पृ.क्र./एफ-3/103/2022/10-11/16/1377 दिनांक 04-03-2024 एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम का पत्र क्र./1132/कार्य/2024 दिनांक 14-06-2024

-0-

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि रतलाम जिले के अन्तर्गत कुआझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग रतलाम को दिये जाने बावत् प्रकरण में अतिरिक्त 12 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। जिस हेतु आवेदक जल संसाधन विभाग रतलाम एवं वनमण्डल स्तर से संबंधित बिन्दुओं की पूर्ति कर आपकी ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

बिन्दु क्रमांक	बिन्दु का विवरण	पालन प्रतिवेदन
1	No objection certificate of concerned departments (Railway, pipeline, Road, TL,etc) needs to be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है।
2	Muck disposal scheme shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा Muck disposal scheme तैयार कर संलग्न किया गया है।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted.	प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता का Justification for location of the project संलग्न है।
4	KML file of Alternative alignments shall be submitted/Uploaded on web portal.	आवेदक विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
5	Reccomendation of CCF(T) Part-III needs to be uploaded on web portal.	—
6	Catchment Area Treatment Plan shall be submitted.	आवेदक द्वारा Catchment Area Treatment Plan तैयार किया गया है।

7	Submergence should be less than 10% of the benefited area and in any case the submergence should not be more than 20% of the extent of the benefited area. The comments in this regard shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा डूब क्षेत्र मापदंड अनुसार किया गया है।
8	The employment details filled in online portal is not filled in correct manner shall be rechecked.	आवेदक विभाग द्वारा पोर्टल पर सुधार किया गया है।
9	This is not clear whether any other component is involved in the project or only submergence is required shall be clarified.	आवेदक द्वारा कंपोनेंट वाइस ब्रेकअप कर दिया गया है।
10	In DSS analysis the minor area of the proposed diversion is going beyond the boundary of forest area as per the working plan. the State Govt needs to be clarified whether the area is part of revenue forest or non forest etc. The status of land shall be corrected accordingly in online Part II.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना की संशोधित के.एम.एल. फाईल ऑनलाईन अपलोड की गई है। जिसके अनुसार तालाब निर्माण में Submergence Area 18.892 हे., Dam Sheet Area 0.620 हे. एवं Spill Area 1.00 हे. इस प्रकार कुल 20.512 हे. वनक्षेत्र प्रभावित होना है।
11	It is important to ensure that the proposed project does not submerge or affect adversely any endangered species of flora or fauna. Therefore, it is desirable that botanical and zoological survey up by the State Govt.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	The title by the project is construction of tank. while the KML depicts otherwise. No other components are depicted. Shall be clarified.	आवेदक विभाग द्वारा सुधार किया गया है।

अतः सूचनार्थ प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

क्रमांक/मा.चि./2024/2374
प्रतिलिपि :-

01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) वन भवन ब्लॉक 'सी' तुलसी नगर मा.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी

रतलाम

रतलाम, दिनांक : 01-06-2024

वनमण्डलाधिकारी

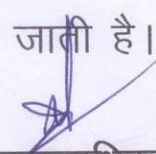
रतलाम

वनभूमि में परियोजना की अवस्थिति का औचित्य

प्रमाण-पत्र

वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दडी के प्रस्तावित वनक्षेत्र वनकक्ष क्रमांक P-24 क्षेत्रफल 20.512 हेक्टेयर के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर जलाशय परियोजना निर्माण अन्तर्गत तालाब निर्माण में Submergence Area 18.892 हे., Dam Sheet Area 0.620 हे. एवं Spill Area 1.00 हे. इस प्रकार कुल 20.512 हे. वनक्षेत्र प्रभावित होना है। प्रस्तावित वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल ईकोक्लास श्रेणी vb का होकर 0.2 से भी कम घनत्व बी.एल-3 में कोई भी सुरक्षित ऐतिहासिक/पुरातत्वीय स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान ओर कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है, तथा कोई दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के कोई पेड़ पौधे नहीं है।

परियोजना कुआझागर तालाब निर्माण न्यूनतम वनक्षेत्र 20.512 हेक्टेयर प्रभावित होने से समीप के ग्रामीण क्षेत्र, रहवासियों एवं वन्यप्रणियों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस औचित्य से उक्त परियोजना निर्माण की अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी,
रतलाम

दुर्लभ संकटापन्न फलोरा/फोना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनक्षेत्र में कोई पेड़ पौधे नहीं है तथा दुर्लभ प्रजाति का वन्यप्राणी होना नहीं पाया गया है। जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा वनस्पति एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञों से कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम